

अंतरराष्ट्रीय बालिका दविस

प्रलिस के लयि:

अंतरराष्ट्रीय बालिका दविस, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सतत् वकिस लक्ष्य

मेन्स के लयि:

बच्चों से संबंधति मुद्दे, महिलाओं से संबंध मुद्दे

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष 11 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दविस मनाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय बालिका दविस:

ऐतहासकि पृष्ठभूमि:

- इतहास में पहली बार वर्ष 1995 में बीजगि डकिलेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ने लडकियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लयि एक कार्ययोजना का प्रस्ताव रखा।
- वर्ष 2011 में [संयुक्त राष्ट्र महासभा](#) ने 11 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दविस के रूप में घोषति करने हेतु संकल्प 66/170 को अपनाया।

वर्ष 2022 की थीम: 'हमारा समय अभी है - हमारे अधिकार, हमारा भवषिय' (Our Time is now- our rights, our Future)।

महत्त्व:

- यह दनि लडकियों के अधिकारों और दुनया भर में लडकियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लयि मनाया जाता है।
- यह दविस लडकियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और लडकियों के सशक्तीकरण एवं उनके मानवाधिकारों की पूर्तिको बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रति करता है।
- साथ ही यह महिला सशक्तीकरण और लैंगकि समानता समेत 17 सतत् वकिस लक्ष्यों का अभन्नि अंग है।
- लैंगकि समानता की उपलब्धिसतत् वकिस एजेंडा में नरिधारति 17 सतत् वकिस लक्ष्यों में पाँचवा है।
 - सभी लक्ष्यों में महिलाओं और लडकियों के अधिकारों को सुनश्चिति करके हीन्याय, समावेश, आर्थकि वकिस एवं एक स्थायी वातावरण प्राप्त कया जा सकता है।

भारत में बालिकाओं की स्थति:

परचिय:

- [राष्ट्रीय अपराध रकिरंड ब्यूरो \(NCRB\)](#) द्वारा हाल ही में जारी रपिर्ट "भारत में आकस्मकि मृत्यु और आत्महत्या रपिर्ट 2021" के अनुसार:
 - कोवडि से संबंधति प्रतर्बिध के कारण वर्ष 2020 में गरिवट के बाद बच्चों के खलिफ अपराध महामारी पूर्व के स्तर को पार कर गया।
 - वर्ष 2021 में 1.49 लाख ऐसे मामले दर्ज कयि गए जो वर्ष 2019 के 1.48 लाख से अधिक हैं।
- NCRB द्वारा प्रकाशति आँकड़े भारत के पूर्वी राज्यों के मामले में वशेष रूप से गंभीर हैं:
 - सकिकमि में बच्चों के खलिफ योन अपराधों की दर सबसे अधिक है, इसके बाद केरल, मेघालय, हरयाणा और मज़ोरम का स्थान है।
 - पश्चमि बंगाल और ओडशा शीर्ष पाँच राज्यों (महाराष्ट्र, एमपी और यूपी के साथ) में शामिल हैं, जो देश भर में बच्चों के खलिफ कयि गए कुल अपराधों का 47.1% है।
 - वर्ष 2021 में अकेले पश्चमि बंगाल में बच्चों के खलिफ अपराध के 9,523 मामले दर्ज कयि गए।

बालिकाओं से संबंधति मुद्दे:

- **कन्या बाल हत्या और भ्रूण हत्या:**
 - भारत में कन्या भ्रूण हत्या की दर वशिव भर में **कन्या भ्रूण हत्या की उच्चतम दरों में से एक** है।
 - कन्या भ्रूण हत्या का कारण पुत्र को वरीयता देना, दहेज प्रथा और उत्तराधिकारी की पतिव्रतीय आवश्यकता है।
 - **वर्ष 2011 की जनगणना में 0-6 वर्ष की आयु वर्ग** में सबसे कम लगानुपात (914) दर्ज किया गया है, जिसमें 3 मिलियन लापता लड़कियाँ शामिल थीं। इनकी संख्या वर्ष 2001 के 78.8 मिलियन की तुलना में वर्ष 2011 में 75.8 मिलियन हो गई।
- **बाल विवाह:**
 - प्रत्येक वर्ष भारत में **कम-से-कम 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र** में हो जाती है, जिसके चलते भारत में बाल वधुओं की संख्या वशिव भर में सबसे अधिक (वैश्विक रूप से कुल संख्या का एक-तहाई) है। वर्तमान में **15-19 आयु वर्ग की लगभग 16% कशोरियों** की शादी हो चुकी है।
 - **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 5 के अनुसार**, बाल विवाह में मामूली गरिवट दर्ज की गई है, जो वर्ष 2015-16 के 27% से घटकर वर्ष 2019-20 में 23% हो गई है।
- **शिक्षा:**
 - लड़कियाँ घर के कामों में अधिक व्यस्त रहती हैं और कम उम्र में ही स्कूल छोड़ देती हैं।
 - **इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन** के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की तुलना में **स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों की शादी होने की संभावना 3.4 गुना अधिक** होती है या उनकी शादी पहले तय हो चुकी होती है।
- **स्वास्थ्य और मृत्यु दर:**
 - भारत में लड़कियों को अपने घरों के अंदर और बाहर अपने समाज में ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारत में असमानता का अर्थ है लड़कियों के लिये असमान अवसर।
 - भारत में पाँच साल से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों की तुलना में 8.3 फीसदी अधिक है। वशिव स्तर पर यह लड़कों के लिये 14% अधिक है।
- **सरकार द्वारा उठाए गए कदम**
 - **बेटी बचाओ बेटी पढाओ:** इसे वर्ष 2015 में लगी चयनात्मक गरभपात और कम होते बाल लगानुपात (वर्ष 2011 में प्रत्येक 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ) को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
 - **सुकन्या समृद्धि योजना:** बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2015 में यह योजना शुरू की गई। यह माता-पिता को लड़कियों के भवष्य के अध्ययन और विवाह पर होने वाले खर्च के लिये नविश करने तथा धन एकत्रित करने हेतु प्रोत्साहित करती है।
 - **सीबीएसई उद्धान योजना:** यह योजना सीबीएसई द्वारा प्रतषिठित इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन और स्कूली शिक्षा एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के बीच शैक्षिक अंतराल को दूर करने के लिये शुरू की गई एक परियोजना है।
 - **माध्यमिक शिक्षा के लिये लड़कियों हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने की राष्ट्रीय योजना (NSIGSE):** यह वर्ष 2008 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर 14-18 आयु वर्ग में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देना है, वशिव रूप से ऐसी लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये जिन्होंने आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की है।
 - **कशोरियों हेतु योजना:** सरकार कशोर लड़कियों हेतु योजना भी लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य कशोरियों (AG) को सुविधा प्रदान करना, शक्ति करना और सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बन सकें।

आगे की राह

- **बाल संरक्षण प्रणाली का सुदृढीकरण:**
 - देश की बाल संरक्षण प्रणाली को मज़बूत करने और पुलसि, न्यायिक एवं कानूनी प्रणालियों को अधिक सक्रिय बनाने के लिये तत्काल उपाय किये जाने की आवश्यकता है।
- **समुदाय आधारित बाल संरक्षण तंत्र:**
 - बच्चों से संबंधित अपराधों में दोषसिद्धि दर कम होती है और लंबतिता दर ज़्यादा होती है, इसलिये **समुदाय-आधारित बाल संरक्षण तंत्र को बढ़ावा देना**, जैसे कि ग्राम-स्तरीय बाल संरक्षण समितियाँ इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिया सकती हैं।
- **सामाजिक जागरूकता बढ़ाना:**
 - स्कूली शिक्षा में लैंगिक मुद्दों पर संवेदीकरण को शामिल करके पतिव्रततात्मक सामाजिक दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ